भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3136
06 दिसंबर, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

3136. श्री दिलीप शइकोयाः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) देश म खाद्य नमूनों का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए देश म खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और पयाप्त आधुनिक उपकरणों को कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या परीक्षण मानकों म एकरूपता को कमी है जिससे परीक्षण के परिणामों म विरोधभास होता है; और
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई काय योजना तैयार को है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): वतमान म, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास देश म 262 प्रयोगशालाओं का नेटवक है। इन 262 प्रयोगशालाओं म से 244 प्राथमिक परीक्षण के लिए है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को धारा 43(1) के तहत मान्यता प्राप्त और अधिसूचित ह तथा 18 प्रयोगशालाएं अपीलीय (रेफरल) परीक्षण के लिए ह, जो अधिनियम को धारा 43 (2) के तहत मान्यता प्राप्त और अधिसूचित ह।

इन प्रयोगशालाओं का श्रेणी-वार वर्गीकरण निम्नवत् है:

(क)	प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	
	राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	13
	कद्र सरकार के संस्थान / स्वायत्त निकाय	21
	निजी प्रयोगशालाएँ	149

	संक्रमण प्रावधान के तहत राज्य सरकार को प्रयोगशालाएँ *	61
	कुल	244
(ख)	(रेफरल) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	
	कद्र सरकार के संस्थान / स्वायत्त निकाय	16
	एफएसएसएआई को अपनी प्रयोगशालाएँ	02
	कुल	18
	सकल योग	262

(*[illegible], [illegible], 2006 [illegible] 98 [illegible])। इन प्रयोगशालाओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या [illegible] पर दी गई है।

(ख): जी, नहों। इस समय देश म पयाप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं ह। जहां तक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का संबंध है, एफएसएसएआई 481.95 करोड़ रु. के परिव्यय से "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश म खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण" के लिए एक कद्रीय प्रायोजित स्कोम कायान्वित कर रहा है। इसके अलावा, अधिकतर निजी प्रयोगशालाओं म खाद्य नमूनों को जांच के लिए विविध प्रकार के परीक्षण करने हेतु पयाप्त आधुनिक उपकरण ह।

(ग) और (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एफएसएसएआई के विविध विनियमों के तहत खाद्य उत्पादों के लिए निर्धारित मानदंड़ों के अनुसार खाद्य परीक्षणों के परीक्षण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों के परीक्षण हेतु अपनी 14 एफएसएसएआई विश्लेषण पद्धति नियम-पुस्तिकाओं म परीक्षण पद्धतियां निर्धारित को ह। इन नियम-पुस्तिकाओं के अलावा, आवश्यकता-आधार पर समय-समय पर अन्य कई पद्धतियां विकसित को गई ह।

□□□□ग□□

□□ म खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्र-□□□ □ख□□

क्र.□□	□□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र	□□□□□□ □□□□□□□, 2006 □ो □□□□ 43 (1) _ के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			□क्र□□ □□□ □□ तहत राज्य खाद्य प्र□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□, 2006 □ो □□□□ 43 (2) □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ प्र□□□□□□□□
		□□□□□□		□□□□		
		□□ज□	□न□ □स□□□			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-		-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	1	5	1	1
3	असम	-	-	-	1	-
4	बिहार	-	-	-	1	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-
6	दमन और दीव	-	-	1	-	-
7	दिल्ली को जीएनसीटी	-	-	20	1	-
8	गोवा	-	-	1	1	-
9	गुजरात	4	-	10	1	1
10	हरियाणा	-	-	14	2	-
11	हिमाचल प्रदेश	-	-	1	1	-
12	जम्मू और कश्मीर	-	1	-	2	-
13	झारखंड	-	-	1	1	-
14	कनाटक	-	-	13	5	2
15	केरल	3	6	7	-	2
16	मध्य प्रदेश	-	-	8	1	-
17	महाराष्ट्र	2	2	25	15	3
18	मणिपुर	-	-	-	1	-
19	मेघालय	-	-	-	1	-
20	नगालड	-	-	-	1	-
21	ओडिशा	-	-	1	1	-
22	पुद्दुचेरी	-	-	-	1	-
23	पंजाब	-	1	2	1	1
24	राजस्थान	-	1	5	8	-
25	सिक्किम	-	-	-	1	-
26	तमिलनाडु	-	1	17	6	2
27	तेलंगाना	1	-	9	-	3
28	त्रिपुरा	-	1	-	1	-
29	उत्तर प्रदेश	2	3	4	4	2
30	उत्तराखंड	-	-	1	1	-
31	पश्चिम बंगाल	1	4	4	-	1
	कुल	13	21	149	61	18